न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 26/2018
RCMS Reg. 2018/00054

विकास अधिकारी, पंचायत समिति बागीदौरा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
–प्रार्थी निगरानीगर्ता

बनाम

1. श्री नरेन्द्र कुमार पिता श्री लक्ष्मीचन्द जैन निवासी बागीदौरा ग्राम पंचायत बागीदौरा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज.)।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत बागीदौरा पंचायत समिति बागीदौरा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज.)।

–अप्रार्थीगण

उपस्थित

श्री योगेश सोमपुरा, अभिभाषक,
–प्रार्थी निगरानीकर्ता

श्री राजकुमार जैन, अभिभाषक।
–अभिभाषक –अप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 20–12–2019

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि, ग्राम पंचायत बागीदौरा ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1956 की धारा 157 के तहत आबादी भूमि में से अप्रार्थी नं. 1 का 1000 वर्गफिट भूमि का पट्टा जारी किया है वह विधि विरूद्व होने के कारण पंचायत समिति बागीदौरा की स्थापना व प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 30.01.2018 के द्वारा पट्टा निरस्त करने के लिये विकास अधिकारी बागीदौरा ने पट्टा निरस्त करने यह निगरानी इस

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरीये समन तलब किया गया।

2 प्रार्थी निगरानीकर्ता का कथन है कि पंचायत राज अधिनियम की धारा 157 (1) के तहत 50 वर्ष से अधिक का पुराना घर बना होने एवं कब्जा होने की साक्ष्य पर पट्टा जारी किया जाता है लेकिन इसमे ऐसा नही हुआ है। धारा 140 मे आबादी को परिभाषित किया है एवं पट्टा जारी करने की प्रक्रिया धारा 140 से 155 तक मे निर्धारित की गई है। धारा 156 (2) अनुसार डीएलसी दर से राशि लेने का प्रावधान होने के बाजवूद ऐसा न कर भू-खण्ड का पट्टा दे दिया है जो विधि विरूद्व एवं गैर कानूनी होने से निरस्त योग्य है। प्रार्थी का यह भी कथन है कि पंचायत के अंकेक्षण वर्ष 2008-09 से 2009-10 मे भी पंचायत नियमों की अनदेखी कर पट्टा जारी करने को विधि विरूद्व एवं प्रावधानो की अवहेलना होना बताया है।

3 इस प्रकार ग्राम पंचायत बागीदौरा द्वारा विधि विरूद्व, गैरकानूनी एवं विधिक प्रक्रिया की पालना न कर, डीएलसी दर से राशि वसूल न कर अप्रार्थी सं. 1 को पट्टा जारी किया गया है, जिसे निरस्त करने निवेदन किया।

4 प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से दिनांक 28.11.2019 को अंकेक्षण विभाग की रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई।

5 अप्रार्थी सं 1 की ओर से दिनांक 26.07.2019 को जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि विकास अधिकारी हितबद्व नही है, प्रशासन एवं स्थापना समिति ने दिनांक 30.01.2018 को बिना अधिकार के प्रस्ताव पारित किया है जो विधि विरूद्व है। पंचायत द्वारा जारी पट्टे का नियमानुसार पंजीयन कराया है। धारा 141 से 157 तक में क्या विधि विरूद्व कार्य किया है, स्पष्ट नही किया है। अप्रार्थी सं. 1 का यह भी कथन है कि ग्राम पंचायत ने नियमो की पालना एवं साक्ष्य के आधार पर पट्टा जारी किया है जिसे निरस्त करने का कोई प्रावधान नही है। अप्रार्थी सं. 1 को पट्टा निलामी अथवा आपसी बातचीत मे नही दिया है एवं अधिकतम 200/- शुल्क पर दिया गया है। धारा 157 के तहत पुराने मकानों का बाजार मूल्य निर्धारित करने का कोई प्रावधान नही है। जिला परिषद द्वारा करवाई गई जॉच एक तरफा है। अप्रार्थी सं. 1 का यह भी कथन है कि ग्राम पंचायत की पत्रावली, प्रस्ताव रजिस्टर तलब कर सत्यता की जॉच की जा सकती है। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने कानूनी प्रावधानो की पालना करते हुए पुराने मकानो का

पट्टा नियमानुसार जारी किया है जिसे निरस्त करने के लिए प्रार्थी निगरानीकर्ता का कोई अधिकार नही होने से निगरानी निरस्त करने निवेदन किया।

6 अप्रार्थी सं. 2 को नोटिस तामील हुआ, लेकिन न तो अप्रार्थी स्वंय उपस्थित हुआ, न उसकी ओर से कोई अभिभाषक उपस्थित हुआ एवं न ही इस संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत किया, फलस्वरूप अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही का आदेश दिया जाकर बहस सुनी गई।

7 वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा कानूनी प्रावधानो की अवहेलना कर टोकनमनी पर पट्टे जारी कर दिये है, मौके पर मकान बना होने का कोई साक्ष्य नही ली है, डीएलसी दर पर बातचीत नही कर पट्टा जारी कर ग्राम पंचायत को हानी पहूचाई है। इस संबंध में अंकेक्षण दल द्वारा भी आक्षेप गठित किया जाकर अन्तर राशि सम्बन्धित पट्टाधारी से वसूल कर पालना चाही जा रही है। वकील प्रार्थी ने यह भी कथन किया कि यदि पट्टाधारी राशि जमा कर देता है तो पट्टा निरस्त करने की आवश्यकता नही रहेगी, राशि पीडीआर एक्ट के तहत भी वसूल की जा सकती है। बहस के अन्त में निगरानी स्वीकार कर पट्टा निरस्त करने निवेदन किया।

8 वकील प्रार्थी सं. 1 ने बहस में अपने लिखित कथन को दोहराते हुए कथन किया कि पंचायत समिति हितबद्व नही है, प्रशासन एवं स्थापना समिति द्वारा पारित प्रस्ताव विधिक नही है। ग्राम पंचायत ने नियमानुसार पट्टा जारी किया है, इसमें कोई विधिक त्रृटि नही की है इसलिये प्रार्थी की निगरानी निरस्त करने निवेदन किया।

9 हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी, अंकेक्षण रिपोर्ट एवं अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी अवलोकन किया एवं उभयपक्षीय बहस पर मनन किया।

10 पंचायत अधिनियम की धारा 157 मे पुराने मकानों का पट्टा जारी करने के प्रावधान हैं, लेकिन मकान का कब्जा पुराना है या नही, की दस्तावेजी साक्ष्य होनी चाहिये। ग्राम पंचायत के हित में बातचीत के जरीये डीएलसी दर पर ग्राम पंचायत को नियमानुसार पट्टे जारी किये जाने चाहिये। इस प्रकरण में ग्राम पंचायत के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार एवं अधिनियम के प्रावधानो की पालना

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

करते हुए पट्टा जारी किया हो, ऐसी कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही हुई है। ऐसी स्थिति मे पट्टा नियमो के विहिन प्रक्रिया प्रावधानो की पालना करते हुए जारी किया गया हो, इसका सत्यापन नही हो सकता है। बिना इसके सत्यापन के पट्टा विधि विरूद्व जारी होने की उपधारणा ही की जा सकती है। इस कारण ग्राम पंचायत बागीदौरा द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के नाम पट्टा सं. 93 को बिना ठोस साक्ष्य के निरस्त किया जाना भी उचित नही है। विकल्प के रूप मे हमारा यह भी मत है कि यदि पट्टाधारी आक्षेपित राशि जमा कराता है तो पट्टा यथावत भी रखा जा सकता है।

11 अतः प्रार्थी विकास अधिकारी बागीदौरा द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अंकेक्षण दल द्वारा गठित आक्षेप की पालना में गत 9–10 वर्षो में आक्षेपित राशि की वसूली के कोई प्रयास किये गये या नही इस बारे में प्रार्थी निगरानीकर्ता ने कोई कथन नही किया है। आक्षेपित अन्तर राशि की वसूली के ठोस प्रयास नही करना भी पाया जाता है। इसलिए विकास अधिकारी बागीदौरा को निर्देशित किया जाता है कि पट्टाधारी से निर्णय दिनांक से 6 माह में आक्षेपित राशि वसूलने के पूर्ण प्रयास करे। इस अवधि तक राशि जमा हो जाती है तो पट्टा यथावत रहेगा एवं नियत अवधि तक भी आक्षेपित राशि जमा नही कराने पर पट्टा निरस्त माना जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 20–12–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलेक्टर,
बांसवाड़ा

4

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2020.01.06 16:50:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: